



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22012021-224645  
CG-DL-E-22012021-224645

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2021/माघ 2, 1942

No. 29]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2021/MAGHA 2, 1942

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2021

**सा.का.नि. 38(अ).**—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 2001 के नियम 3, 4, 19 और नियम 20 के साथ पठित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50), की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, समूह 'क' और 'ख' सिविलियन राजपत्रित पद, भर्ती नियम, 2000, (ii) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, समूह 'ख' सिविलियन अराजपत्रित पद, भर्ती नियम, 2002 और (iii) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ज्येष्ठ निजी सचिव, महानिदेशक, भर्ती नियम, 2013 को जहां तक कि उनका संबंध सहायक निदेशक(लेखा), ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, लेखा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव और ज्येष्ठ निजी सचिव के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में समूह 'क' और 'ख' सिविलियन राजपत्रित पदों (अर्थात् सहायक निदेशक(लेखा), ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, लेखा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव और ज्येष्ठ निजी सचिव) पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, समूह 'क' और 'ख' सिविलियन राजपत्रित पद, भर्ती नियम, 2021 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** — उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि** — उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।
4. **निरर्हता** — वह व्यक्ति —

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है, कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छुट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

\*\*\*

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक निदेशक (लेखा)	01* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700/-रू0)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	संघटक (प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति)।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
संघटक (प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति): केन्द्रीय सरकार /राज्य सरकारें/संघ राज्य-क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी — (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या	लागू नहीं होता।	पद भरने के लिए प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

<p>(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10(56100-177500रु) के पदों में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो या समतुल्य; या</p> <p>(iii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8(47600-151100रु) के पदों में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो या समतुल्य; या</p> <p>(iv) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7(44900-142400रु) के पदों में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो या समतुल्य; या</p> <p>(ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताओं में से कोई एक अर्हता है -</p> <p>(i) केन्द्रीय सरकार के किसी भी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p>(ii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य का या समतुल्य पशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो और जिसके पास रोकड़, लेखा और बजट में पांच वर्ष का अनुभव है।</p> <p><b>टिप्पण 1-</b> स्तर-7 में ऐसे विभागीय लेखा अधिकारी जोकि अपनी श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हो और वे प्रतिनियुक्त व्यक्ति के लिए निर्धारित शिक्षात्मक अर्हताओं और अनुभव को पूरा करते हो, पर भी बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और कोई उस पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है तो वह प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2-</b> प्रतिनियुक्त की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>		
---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	02* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700/-रु0)।	चयन।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति :</b></p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के ऐसे अनुभाग अधिकारी जिन्होंने अपनी श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो और उन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से यथाविनिर्दिष्ट प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।</p> <p><b>टिप्पण 1—</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति :</b></p> <p>केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारें/संघ राज्य-क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी —</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10(56100-177500रु) के पदों में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो या समतुल्य; और</p> <p>(ख) जिनके पास प्रशासन, स्थापना और लेखा संबंधी विषयों पर पांच वर्ष का अनुभव है।</p> <p><b>टिप्पण 1—</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2—</b> प्रतिनियुक्त की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष ;</li> <li>2. महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल — सदस्य ;</li> <li>3. महानिरीक्षक(कार्मिक), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल — सदस्य ;</li> <li>4. निदेशक/उप सचिव, गृह मंत्रालय — सदस्य।</li> </ol>	<p>पद भरने के लिए प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. लेखा अधिकारी	04* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7(44900-142400/-रु0)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	संघटक (प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति)।

(11)	(12)	(13)
<p><b>संघटक (प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति):</b></p> <p>केन्द्रीय सरकार /राज्य सरकारें/संघ राज्य-क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी -</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; और</p> <p>(ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं रखते हों -</p> <p>(i) केन्द्रीय सरकार के किसी भी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</p> <p>(ii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य का या समतुल्य पशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो और जिसके पास रोकड़, लेखा और बजट कार्य में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव है।</p> <p><b>टिप्पण 1-</b> स्तर-6 में ऐसे विभागीय लेखाकार जोकि अपनी श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हो और वे प्रतिनियुक्त व्यक्ति के लिए निर्धारित शिक्षात्मक अर्हताओं और अनुभव को पूरा करते हो, पर भी बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और कोई उस पद पर नियुक्ति के लिए चुना जाता है तो वह प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा।</p> <p><b>टिप्पण 2-</b> प्रतिनियुक्त की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति के आधार पर पद भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. अनुभाग अधिकारी	09* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7(44900-142400/-रु0)।	चयन।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति।

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति :</b></p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6(35400-112400रु) में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के ऐसे सहायक जिन्होंने अपनी श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो और उन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान से यथाविनिर्दिष्ट प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।</p> <p><b>टिप्पण -</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. महानिरीक्षक(कार्मिक), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल - अध्यक्ष ;</li> <li>2. उप महानिरीक्षक(कार्मिक), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल - सदस्य ;</li> <li>3. सहायक महानिरीक्षक(कार्मिक), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल - सदस्य ;</li> </ol>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. ज्येष्ठ निजी सचिव	01* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8(47600-151100/-रु0)।	चयन।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति :</b></p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के ऐसे निजी सचिव जिन्होंने अपनी श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

<p><b>टिप्पण</b> — जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति :</b></p> <p>केन्द्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक पद के ऐसे अधिकारी —</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने अपने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 या समतुल्य निजी सचिव श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद दो वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पण 1—</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2—</b> प्रतिनियुक्त की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>1. महानिरीक्षक(कार्मिक), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल — अध्यक्ष ;</p> <p>2. उप महानिरीक्षक(कार्मिक), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल — सदस्य ;</p> <p>3. सहायक महानिरीक्षक(कार्मिक), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल — सदस्य ;</p>
--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. निजी सचिव	06* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7(44900-142400/-रु0)।	चयन।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) 70 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (ii) 30 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रोन्नति :</b></p> <p>वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के ऐसे आशुलिपिक श्रेणी-1 जिन्होंने अपनी श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण</b> — जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति :</b></p> <p>केन्द्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक पद के ऐसे अधिकारी —</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>(ii) जिन्होंने अपने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6(35400-112400रु) या समतुल्य में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है।</p> <p><b>टिप्पण 1</b>— पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p><b>टिप्पण 2</b>— प्रतिनियुक्त की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. महानिरीक्षक(कार्मिक), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल — अध्यक्ष ;</li> <li>2. उप महानिरीक्षक(कार्मिक), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल — सदस्य ;</li> <li>3. सहायक महानिरीक्षक(कार्मिक), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल — सदस्य ;</li> </ol>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।</p>

[फा.सं. ई-32012/03/आरआरएस/2017/कार्मिक.।।/]

डी.वी. यादव, अवर सचिव



**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st January, 2021

**G.S.R. 38(E).**—In exercise of the powers conferred by section 22 of the Central Industrial Security Force Act, 1968 (50 of 1968), read with rules 3,4,19 and 20 of the Central Industrial Security Force Rules, 2001, and in supersession of the Central Industrial Security Force, Group 'A' and 'B' Civilian Gazetted Posts Recruitment Rules 2000, (ii) Central Industrial Security Force, Group-'B' Civilian, Non-Gazetted post, Recruitment Rules 2002 and (iii) Central Industrial Security Force, Senior Private Secretary to Director General, Recruitment Rules, 2013, in so far as they relate to the posts of Assistant Director (Accounts), Senior Administrative Officer, Accounts Officer, Section Officer, Private Secretary and Senior Private Secretary, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' & 'B' Civilian Gazetted Posts (i.e. Assistant Director(Accounts), Senior Administrative Officer, Accounts Officer, Section Officer, Private Secretary and Senior Private Secretary) in the Central Industrial Security Force namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Central Industrial Security Force, Group 'A' and 'B' Civilian Gazetted Posts, Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.** - The number of said posts, their classifications and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification. - No person,-**

a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of the persons.

7. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

\*\*\*

**SCHEDULE**

Name of Post.	Number of Posts.	Classification.	Level in Pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Assistant Director (Accounts)	01* (2021). * (Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700/-).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of Recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or deputation/absorption, and percentage of posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation /absorption to be made.	If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for promotees.	Composite (Promotion/ Deputation).	<p>Composite (Promotion/ Deputation) :</p> <p>Officers under the Central Government/State Governments/UTs :-</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>or</p> <p>(ii) with five years regular service in posts in level-10 (Rs.56100-177500/-) in pay matrix or equivalent; or</p> <p>(iii) with six years regular service in posts in level-8 (Rs.47600-151100/-) in pay matrix or equivalent; or</p> <p>(iv) with seven years regular service in posts in level-7 (Rs.44900-142400/-) in pay matrix or equivalent; and</p> <p>(b) possessing any one of the following qualifications:</p> <p>(i) A pass in Subordinate Accounts Service or equivalent examination conducted by any of the Organized Accounts Department of the Central Government.</p> <p>(ii) Successful completion of training in Cash and Accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or</p>	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion.

			<p>equivalent and possessing five years experience in cash/ accounts/ budget work.</p> <p>Note I : The Departmental Accounts officer in Level-7 with seven years of regular service in the grade and having EQs and experience prescribed for deputationist will also be considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.</p> <p>Note II : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for deputation will be fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	---	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>2. Senior Administrative Officer.</b>	<b>02*</b> (2021). * (Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700/-).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Section Officers of Central Industrial Security Force in level-7 of the pay matrix with seven years regular service in the grade and have successfully completed the prescribed pre-promotional course or courses from Institute of Secretariat Training and Management (ISTM) as prescribed.</p> <p><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility</p>	<p><b>Group-'A' Departmental Promotion Committee(for considering promotion) consisting of :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Chairman/ Member, Union Public Service Commission – Chairman;</li> <li>Director General,</li> </ol>	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

		<p>service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation :</b></p> <p>Officers under the Central Government/State Governments/UTs :-</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>or</p> <p>(ii) with five years regular service in posts in level-10 (Rs.56100-177500/-) of the pay matrix or equivalent; and</p> <p>(b) possessing five years experience in administration, establishment and accounts matters.</p> <p><b>Note I :</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note II :</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-</p>	<p>Central Industrial Security Force – Member;</p> <p>3. Inspector General (Personnel) Central Industrial Security Force – Member;</p> <p>4. Director/ Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs – Member.</p>	
--	--	---	---	--

			limit for deputation will be fifty-six years as on the closing date of receipt of application.		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>3. Accounts Officer.</b>	04* (2021) * (Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400/-).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Composite (Promotion/ Deputation).	<p><b>Composite (Promotion/ Deputation) :</b></p> <p>Officers under the Central Government/State Governments /UTs :</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department;</p> <p>or</p> <p>(ii) with five years regular service rendered after appointment to the post on regular basis in level-6 of pay matrix or equivalent in the parent cadre or department ; and</p> <p>(b) possessing the following qualifications:</p> <p>(i) A pass in Subordinate Accounts Service examination conducted by any of the Organized Accounts Department of the Central Government; Or</p> <p>(ii) Successful completion of training in Cash and Accounts work from the Institute of Secretarial Training and Management or recognized Institution and a minimum of 2 years experience in cash, accounts and budget work.</p> <p><b>Note I :</b> The departmental Accountant in Level-6 with five years of regular service in the grade and having EQs and experience prescribed for deputationist will also be</p>	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary for filling up the post whether by promotion or by deputation basis.

			<p>considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.</p> <p><b>Note II:</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation will be fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>4. Section Officer.</b>	<b>09*</b> (2021) * (Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400/-).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Promotion.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Assistant of Central Industrial Security Force in level-6 (Rs.35400-112400/-) of pay matrix with five years regular service in the grade and have successfully completed the pre-promotional course or courses from Institute of Secretariat Training and Management (ISTM) as prescribed.</p> <p><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>	<p><b>Group-'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspector General (Personnel), Central Industrial Security Force – Chairman;</li> <li>2. Deputy Inspector General (Personnel), Central Industrial Security Force – Member;</li> <li>3. Assistant Inspector General (Personnel), Central Industrial Security Force – Member.</li> </ol>	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. <b>Senior Private Secretary.</b>	<b>01*</b> (2021) * (Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-8 in the pay matrix (Rs.47600-151100/-).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Private Secretary in Central Industrial Security Force in level-7 of the pay matrix with two years regular service in the grade.</p> <p><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation:</b></p> <p>Officers holding the post of Stenographer under the Central Government :</p> <p>(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>or</p> <p>(ii) with two years regular service in the Private Secretary grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-7 or equivalent in the parent cadre or department.</p> <p><b>Note I :</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for</p>	<p><b>Group-'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspector General (Personnel) Central Industrial Security Force – <b>Chairman;</b></li> <li>2. Deputy Inspector General, (Personnel), Central Industrial Security Force –<b>Member;</b></li> <li>3. Assistant Inspector General (Personnel), Central Industrial Security Force – <b>Member.</b></li> </ol>	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

			<p>appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note II :</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation will be fifty-six years on the last date of application.</p>		
--	--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>6. Private Secretary.</b>	<b>06*</b> (2021) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400/-).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	<p>i) 70 per cent. by promotion failing which by deputation.</p> <p>ii) 30 per cent. by deputation.</p>	<p><b>Promotion:</b></p> <p>Stenographer Grade-I in Central Industrial Security Force in level-6 in the pay matrix with five years regular service in the grade.</p> <p><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p><b>Deputation :</b></p> <p>Officers holding the post of Stenographer under the Central Government :</p>	<p><b>Group-'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-</b></p> <p><b>1.</b> Inspector General (Personnel), Central Industrial Security Force – <b>Chairman;</b></p> <p><b>2.</b> Deputy Inspector General (Personnel), Central Industrial Security Force – <b>Member;</b></p> <p><b>3.</b> Assistant Inspector General (Personnel), Central Industrial Security Force</p>	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.



			<p>(i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;</p> <p>or</p> <p>(ii) with five years regular service in level-6 (Rs.35400-112400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department.</p> <p><b>Note I :</b> The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p><b>Note II :</b> The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation will be fifty-six years on the last date of application.</p>	<b>- Member.</b>	
--	--	--	---	------------------	--

[F. No. E-32012/03/RRs/2017/PERS.II]

D.V. Yadav, Under Secy.